झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–194 वर्ष 2017

इंदु कश्यप नाग, फूलेन्दु नाग की पत्नी, साकिन–ग्राम सिकमा, डाकघर–सालगुटु, थाना–कामदरा, गुमला, वर्तमान में परम निर्मल नगर, रिंग रोड, तिपुदाना, डाकघर–हटिया, थाना–धुर्वा, जिला–रांची के निवासी हैं। .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. सचिव, मानव संसाधन विभाग, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, रांची।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, रांची।
4. क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर, डाकघर एवं थाना एवं जिला–रांची।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची, डाकघर एवं थाना–रांची, जिला–रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सुबांध कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए :– श्री आशीष कु0 ठाकुर, एस0सी0 (एल एंड सी) का जे0सी0

06/12.06.2017 याचिकाकर्त्ता ने इस रिट याचिका में अपनी वेतन को 1.1.1982 से या अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से तय करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों पर निर्देश देने की प्रार्थना की है।

राज्य ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। उक्त काउंटर हलफनामे के पैरा 13 को उदधृत करने की आवश्यकता हैं

> ''13. कि ऊपर बताए गए उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्त्ता की दिनांक 1.1.1982 से या नियुक्ति की तारीख से जो भी बाद में हो, निर्धारित वेतनमान में वेतन का बकाया राशि का भुगतान करने की प्रार्थना पर नियम के अनुसार विचार किया जाता है यदि याचिकाकर्त्ता सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अपना अभ्यावेदन दायर करता है।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि राज्य–प्रतिवादी याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करने के लिए तैयार और इच्छुक है, यदि सभी दस्तावेजों के साथ एक उचित अभ्यावेदन दायर किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्त्ता को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष सभी संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश देता हूँ। यदि ऐसा अभ्यावेदन दायर किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 3 यायचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करेगा और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार एक युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा। यदि अनुकूल आदेश प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित किया जाता है, तो पारिणामिक लाभ याचिकाकर्त्ता को भी दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)